यायालय उपखण्ड अधिकारी कोर्ट, बाप, जिला जोधपुर।

बइजलास पीठासीन अधिकारी सुमित्रा पारीक (R.A.S)

जस्व अपील संख्या :– ...5../2017

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंटस
दीन मोहम्मद पुत्र जीवणखां		1. मोहम्मद शरीफ पुत्र इसे खां
. अब्दुल गनी उर्फ गनी खां पुत्र मेहमूद खां		2. फतेह मोहम्मद पुत्र गुलाब खां
. नसीरा पुत्र इमाम खां		3. अब्दुल शकुर पुत्र हाजी मुसे खां
. निहाल खां पुत्र हकीम खां		सभी जाति मुसलमान
सभी जाति मुसलमान		निवासी हाजीपुरा (ननेऊ)
निवासी हाजीपुरा (ननेऊ)		तहसील फलोदी जिला जोधपुर
तहसील फलोदी जिला जोधपुर		

म्यूटेशन अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1936 विरूद्ध आदेश दिनांक 20.12.1974 पारित ग्राम पंचायत ननेऊ बसिलसिला म्यूटेशन संख्या 222 स्वीकृत किया गया।

उपस्थित :–

1. श्री जमालदीन मंगलिया अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित
2. श्री सिकन्दर मोहम्मद घोसी एवं श्री विजय तंवर अधिवक्ता रेस्पोडेंटस की ओर से उपस्थित

दिनांक : 30/01/2018

निर्णय

अपीलांट ने एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम ननेऊ हाजीपुरा के मूल खसरा नम्बर 194 रकबा 725.16 बीघा भूमि का नामांतरकरण संख्या 222 विधि विधान संचिका अभिलेख के तथ्यों के विरूद्ध कानून गलत होने से खारिज योग्य है। मूल खसरा नम्बर 194 रकबा 725.16 बीघा का था जिसका म्यूटेशन संख्या 32 दिनांक 07.01.1961 को स्वीकृत किया गया था। जिसमें अपीलांट का 2/3 हिस्सा एवं रेस्पोडेंट का 1/3 हिस्सा घोषित किया गया था। इसी अनुसार अपीलांट व रेस्पोडेंटस की खातेदारी रही है। अपीलांट अनपढ काश्तकार एवं पशु चरवाहें है जिसका नाजायज फायदा उठाते हुवे रेस्पोडेंटस ने फर्जी पारिवारिक बंटवाडा करवाकर पंचायत में दिनांक 20.12.1974 को नामांतरकरण संख्या 222 स्वीकृत करवा लिया जो नामांतरकरण निरस्त किये जाने योग्य है। जिस बंटवाड़ा के जरिये नामांतरकरण स्वीकृत किया गया। ऐसा पारिवारिक बंटवाड़ा अपीलांट एवं रेस्पोडेंट के बीच कभी नहीं हुआ है और न ही ऐसा बंटवाड़ा तहसील कार्यालय फलोदी में उपलब्ध री है। बंटवाडें की नकल चाही गई थी जो बंटवाड़ा पत्रावली पर उपलब्ध नही है रेस्पोडेंट

ने फर्जी बंटवाड़ें के जरिये म्यूटेशन स्वीकृत करवाया है जो अपने आप में नल एवं वोईड है। साथ ही निवेदन किया कि म्यूटेशन पर पंचायत की सर्वसहमति एवं पंचायत की सील नहीं है। रेस्पोडेंट ने फर्जी ढंग से रेकर्ड में हेराफेरी कर फर्जी बंटवाड़ा तैयार कर म्यूटेशन भरवाया है जिसका पुलिस थाना जाम्बा में मुकदमा दर्ज करवाया गया। नामांतरकरण सख्या 222 विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत ननेऊ ने नामांतरकरण स्वीकृत करते समय कोई जांच नहीं की है। बिना जांच नामांतरकरण स्वीकृत कर ग्राम पंचायत ने विधि की भारी भूल की है। साथ ही निवेदन किया कि अपीलांट को नामांरकरण संख्या 222 की कोई पूर्व जानकारी नही थी। अपीलांट ने दिनांक 14.03.2017 को नामांतरकरण संख्या 222 की नकल ली तो सर्व प्रथम जानकारी हुई। रेस्पोडेंट ने जरिये मिथ्या एवं ऑफ्टर थॉट नामांतरकरण संख्या 222 के जरिये राजस्व रेकर्ड में हेराफेरी करके अपीलांट की खातेदारी एंव कब्जा काश्त भूमि हड़प ली है। जो नामांतरकरण शुरू से शुन्य होने से निरस्त योग्य है। अतः नामांतरकरण संख्या 222 को निरस्त किया जावे।

इस सम्बन्ध में रेस्पोडेंट की ओर से एक प्रार्थना पत्र धारा 151 सी.पी.सी. का पेश किया गया तथा साथ ही अपीलांट के प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट एवं रेस्पोडेंट के मध्य इसी म्यूटेशन को लेकर एक नियमित वाद दीन मोहम्मद वगैरा बनाम मोहम्मद शरीफ वगैरा प्रकरण संख्या 204/2013 माननीय न्यायालय में विचाराधीन है जिसकी सुनवाई आज ही नियत है। विवादित भूमि के सम्बन्ध में नियमित वाद विचारित रहते हुवे अपील पोषणीय नहीं होने से काबिल खारिज के है। उक्त अपील की कार्यवाही सरसरी कार्यवाही है जिसमें हक हकूकों का निस्तारण नहीं किया जा सकता है। उक्त नामांतरकरण सख्या 222 दिनांक 20.12.1974 को ग्राम पंचायत ननेऊ द्वारा पारित किया गया था जो म्यूटेशन पक्षकारान् के मध्य हुवे पारिवारिक बंटवाड़ा के अनुसार श्रीमान् तहसीलदार फलोदी के आदेश दिनांक 14.12.1974 को विधि अनुसार भर कर स्वीकृत किया गया था जिसे 43 वर्ष बाद अपील द्वारा कानूनन चुनौति नहीं दी जा सकती। इसी संदर्भ में अपीलांट द्वारा एक राजस्व वाद दिनांक 08.01.2013 को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है उस समय भी उक्त नामांतरकरण की जानकारी अपीलांट को थी क्योंकि नियमित वाद अपीलांट द्वारा ही पेश किया गया था तथा उक्त अवधि भी 4 वर्ष से अधिक हो गई है। अपीलांट स्वयं ने वक्त सेटलमेंट से लेकर आज तक उपरोक्त विवादग्रस्त भूमि का कई बार बंटवाड़ा करवाया विक्रय पत्र पंजीयन करवाये साथ ही उपरोक्त भूमि की जमाबंदीयां प्राप्त कर कई बार सरकारी ऋण भी प्राप्त किये इस प्रकार उपरोक्त नामांतरकरण की जानकारी अपीलांट को बहुत पहले से है लेकिन जमीनों के भाव बढ जाने कारण बदयान्ति पूर्वक उक्त अपील प्रस्तुत की है। अपीलांट एवं रेस्पोडेंट की भूमि नामांतरकरण संख्या 222 के जरिये अलग अलग खातों में विभक्त हो चुकी थी

था मौके पर भी अपीलांट व रेस्पोडेंट का अलग अलग कब्जा काश्त है। इसी नामांतरकरण के बाद अपीलांट की 1/5 हिस्सा भूमि का स्वयं अपीलांट ने भी अपना अलग अलग बंटवाड़ा करवाया है जिसके नामांतरकरण संख्या 706 है रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 द्वारा दिनांक 05.02.1985 को जरिये म्यूटेशन संख्या 450 जो भूमि बेचान की गई थी वो भूमि अपीलांट सख्या 4 को ही बेचान की गई थी जिसका विक्रय पत्र अपीलांट संख्या 4 ने अपने भाई समस्तदीन के पक्ष में निष्पादित करवाया था इसलिये अपीलांट संख्या 4 को उस समय यह भली भांति जानकारी थी कि रेस्पोडेंट संख्या 3 के खाते में 193.11 बीघा अंकित थी रेस्पोडेंट संख्या 1 ने दिनांक 05.02.1985 को अपीलांट संख्या 1 को इसी खसरा की भूमि बेचान की थी उस समय भी राजस्व रेकर्ड में रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम 193.11 बीघा भूमि दर्ज थी इसी प्रकार रेस्पोडेंट सख्या 2 ने दिनांक 05.02.1985 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अपीलांट संख्या 2 को भूमि बेचान की थी उस समय भी रेस्पोडेंट सख्या 2 के खाते में 193.11 बीघा भूमि बतौर खातेदार दर्ज थी। इसी प्रकार दिनाक 05.02.1985 को रेस्पोडेंट संख्या 3 ने अपीलांट संख्या 3 को इसी खसरा की भूमि बेचान की थी उस समय भी राजस्व रेकर्ड में रेस्पोडेंट सख्या 3 के नाम 193.11 बीघा भूमि बतौर खातेदार दर्ज थी तथा अपीलांट संख्या 3 ने 1985 को 37.10 बीघा भूमि अपने हिस्से की मानते हुवे जरिये नामांतरकरण संख्या 459 के तहत भूमि बेचान की थी। इस प्रकार अपीलांट को सन् 1985 से अपने हिस्सें एवं कब्जे की भूमि के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी थी लेकिन उस समय कोई अपील पेश नहीं की गई थी इतने लम्बे अर्से बाद अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है जो कतई म्याद में नहीं है और न ही अपीलांट नें म्याद के बिन्दु पर उक्त देरी होने के संदर्भ में कोई मजबूत आधार ही पेश किया है। इसलिये अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे। जवाब शामिल मिसल किया जाकर पत्रावली बहस में रखी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुवे बताया कि ग्राम ननेऊ हाजीपुरा के मूल खसरा नम्बर 194 रकबा 725.16 बीघा भूमि का नामांतरकरण संख्या 222 विधि विधान संचिका अभिलेख के तथ्यों के विरूद्ध कानून गलत होने से खारिज योग्य है। मूल खसरा नम्बर 194 रकबा 725.16 बीघा का था जिसका म्यूटेशन संख्या 32 दिनांक 07.01.1961 को स्वीकृत किया गया था। जिसमें अपीलांट का 2/3 हिस्सा एवं रेस्पोडेंट का 1/3 हिस्सा घोषित किया गया था। इसी अनुसार अपीलांट व रेस्पोडेंटस की खातेदारी रही है। अपीलांट अनपढ काश्तकार एवं पशु चरवाहें है जिसका नाजायज फायदा उठाते हुवे रेस्पोडेंटस ने फर्जी पारिवारिक बंटवाड़ा करवाकर पंचायत में दिनांक 20.12.1974 को नामांतरकरण संख्या 222 स्वीकृत करवा लिया जो नामांतरकरण निरस्त किये जाने योग्य है। जिस बंटवाड़ा के जरिये नामांतरकरण स्वीकृत किया गया। ऐसा पारिवारिक बंटवाड़ा ... ... कभी नहीं हुआ है और न ही ऐसा बंटवाड़ा तहसील

कार्यालय फलोदी में उपलब्ध ही है। नामांतरकरण संख्या 222 विधि विरुद्ध होने से निरस्त
योग्य है। अपीलांट को नामांरकरण संख्या 222 की कोई पूर्व जानकारी नही थी। अपीलांट
ने दिनांक 14.03.2017 को नामांतरकरण संख्या 222 की नकल ली तो सर्व प्रथम जानकारी
हुई। रेस्पोडेंट ने जरिये मिथ्या एवं ऑफ्टर थॉट नामांतरकरण संख्या 222 के जरिये राजस्व
रेकर्ड में हेराफेरी करके अपीलांट की खातेदारी एंव कब्जा काश्त भूमि हड़प ली है। जो
नामांतरकरण शुरू से शुन्य होने से निरस्त योग्य है। अतः नामांतरकरण संख्या 222 को
निरस्त किया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट एवं रेस्पोडेंट के मध्य इसी
म्यूटेशन को लेकर एक नियमित वाद दीन मोहम्मद वगैरा बनाम मोहम्मद शरीफ वगैरा
प्रकरण संख्या 204/2013 माननीय न्यायालय में विचाराधीन है जिसकी सुनवाई आज ही
नियत है। विवादित भूमि के सम्बन्ध में नियमित वाद विचारित रहते हुवे अपील पोषणीय
नहीं होने से काबिल खारिज के है। उक्त अपील की कार्यवाही सरसरी कार्यवाही है जिसमें
हक हकूकों का निस्तारण नहीं किया जा सकता है। उक्त नामांतरकरण संख्या 222 दिनांक
20.12.1974 को ग्राम पंचायत ननेऊ द्वारा पारित किया गया था जो म्यूटेशन पक्षकारान् के
मध्य हुवे पारिवारिक बंटवाड़ा के अनुसार श्रीमान् तहसीलदार फलोदी के आदेश दिनांक 14.
12.1974 को विधि अनुसार भर कर स्वीकृत किया गया था जिसे 43 वर्ष बाद अपील द्वारा
कानूनन चुनौति नहीं दी जा सकती। इसी संदर्भ में अपीलांट द्वारा एक राजस्व वाद दिनांक
08.01.2013 को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है उस समय भी उक्त
नामांतरकरण की जानकारी अपीलांट को थी क्योंकि नियमित वाद अपीलांट द्वारा ही पेश
किया गया था तथा उक्त अवधि भी 4 वर्ष से अधिक हो गई है। अपीलांट स्वयं ने वक्त
सेटलमेंट से लेकर आज तक उपरोक्त विवादग्रस्त भूमि का कई बार बंटवाड़ा करवाया
विक्रय पत्र पंजीयन करवाये साथ ही उपरोक्त भूमि की जमाबंदीयां प्राप्त कर कई बार
सरकारी ऋण भी प्राप्त किये इस प्रकार उपरोक्त नामांतरकरण की जानकारी अपीलांट को
बहुत पहले से है लेकिन जमीनों के भाव बढ जाने कारण बदयान्ति पूर्वक उक्त अपील
प्रस्तुत की है। इस प्रकार अपीलांट को सन् 1985 से अपने हिस्सें एवं कब्जे की भूमि के
बारे में पूर्ण रूप से जानकारी थी लेकिन उस समय कोई अपील पेश नहीं की गई थी इतने
लम्बे अर्से बाद अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है जो कतई म्याद में नहीं है और न
ही अपीलांट ने म्याद के बिन्दु पर उक्त देरी होने के संदर्भ में कोई मजबूत आधार ही पेश
किया है। इसलिये अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे। रेस्पोडेंटस की ओर से
माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा निम्न नजीरे पेश की गई आर.आर.टी. 2005
(1) श्री मुक्तचंद बनाम देवकीनंदन एवं अन्य पेज 665, आर.आर.टी. 2013 (1) पेज 83

नकिशन एवं अन्य बनाम प्रेमचंद शर्मा व अन्य, आरआर.टी. 2010 (1) पेज 310 सावतमल अन्य बनाम तुलसी व अन्य, आर.आर.टी.।

पत्रावली पर पक्षकारान् की बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों को अवलोकन किया गया तथा सर्व प्रथम अपीलांट एव रेस्पोडेंट के मध्य बंटवाड़ा से सम्बन्धित नामांतरकरण संख्या 222 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा म्यूटेशन संख्या 222 से पूर्व राजस्व रेकर्ड जमाबंदी का भी अवलोकन किया जिसमें अपीलांट गफुर खां पुत्र मेहमूद खां, नसीरा पुत्र इमामखां, निहाल खां पुत्र हकीम खां, दीन मोहम्मद पुत्र जीवण खां 1/5 हिस्सा तथा रेस्पोडेंट मोहम्मद शरीफ पुत्र इसे खां, फतेह मोहम्मद पुत्र गुलाब खां, अब्दुल शकुर पुत्र हाजी मुसे खां 4/5 हिस्सा बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है। नामांतरकरण संख्या 222 तहसीलदार फलोदी के आदेश दिनांक 14.12.1974 के अनुसार बंटवाड़ा मंजुर होने से भरा गया जिसकी जांच भू–अभिलेख निरीक्षक बाप द्वारा दिनांक 16.12.1974 को रेकर्ड से मिलान कर सहीं पाया जाना बताया गया तत्पश्चात् उक्त नामांतरकरण ग्राम पंचायत ननेऊ की बैठक में पेश होने पर जांच की गई तत्पश्चात् दिनांक 20.12.1974 को उक्त नामांतरकरण मंजुर किया गया। उक्त नामांतरकरण के बाद नामांतरकरण संख्या 319, 431, 450, 452, 453, 454, 459, 471, 501, 604, 625, 706, 850, 855, 920, 1065, 1145, 1146, 1206, 1322, 1397, 1535, 1631, 1673, 1690, 1719, 1734, 1769, 1779, 1784, 1808 भरे जा चुके है। हमने राजस्व रेकर्ड जमाबंदी एवं राजस्व नक्शा का अवलोकन किया खसरा नम्बर 194 करीब 35 भागों में विभक्त हो चुका है। इस प्रकार खसरा नम्बर 194/1 से 194/35 भागों में विभक्त है। राजस्व नक्शा में भी सभी खसरान् की भूमि की अलग अलग तरमीम भी मौजुद है। जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट को उक्त नामांतरकरण सख्या 222 की शुरू से जानकारी रही है अपीलांट द्वारा 43 वर्ष बाद नामांतरकरण को उक्त अपील के जरिये चुनौति दी गई है जो स्पष्ट रूप से म्याद बाहर है तथा रेस्पोडेंटस की ओर से प्रस्तुत माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के न्यायिक दृष्टांतों का सादर अवलोकन किया गया। समस्त दस्तावेजात् के अवलोकन से हमारा मत है कि वादग्रस्त भूमि का अपीलांट एंव रेस्पोडेंट के मध्य पूर्व में बंटवाड़ा हो चुका है तथा राजस्व रेकर्ड अनुसार समस्त पक्षकारान् का हिस्सा राजस्व रेकर्ड में अलग अलग दर्ज है तथा उक्त बंटवाड़ा हो जाने के पश्चात् अपीलांट द्वारा समय समय पर भूमि की खदीर फरोख्त की गई है तथा अपने हिस्से में आई भूमि का भी बंटवाड़ा आपस में किया जा चुका है जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट को उक्त नामांतरकरण सख्या 222 की पूर्ण रूप से भलीभांति जानकारी रही है। नामांतरकरण सख्या 222 के स्वीकृत होने के 43 वर्ष बाद अपीलांट ने नामांतरकरण की जानकारी होते हुवे भी इतने लम्बे अंतराल के बाद उक्त नामांतरकरण को चुनौति दी है जो स्पष्ट रूप से म्याद बाहर है

ा नामांतरकरण सख्या 222 में भी विधि अनुसार किसी भी प्रकार की कोई त्रुटी प्रतीत हीं होती है। समस्त विवेचन से अपीलांट की अपील म्याद के बिन्दु पर खारिज योग्य है था विधि अनुसार भी नामांतरकरण संख्या 222 में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटी नहीं होने अपील सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज योग्य है।

आदेश

अतः अपीलांट की अपील सारहीन, आधारहीन एंव म्याद बाहर प्रस्तुत होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उक्त आदेश आज दिनांक 30/01/2018 को खुले न्यायालय में लिख कर सुनाया गया।

उप जिला मजिस्ट्रेट एवं उप खण्ड अधिकारी बाप, जिला जोधपुर (राज.)

(सुमित्रा पारीक)
उपखण्ड अधिकारी
बाप (जोधपुर)